

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 161/प्रवा0कले0/2020:

रीवा, दिनांक 21 मार्च, 2020

आदेश

जैसा की विदित है कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम अति आवश्यक है। अतः रीवा जिले में भी निम्न बिन्दुओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

रीवा जिले की आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये मैं बसंत कुर्रे, जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत पूर्व में इस कार्यालय के जारी आदेश क्रमांक 158/प्रवा0कले0/2020 रीवा दिनांक 20 मार्च 2020 के बिन्दुओं के साथ-साथ जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसरण में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ:-

1. जिला रीवा की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के इंडोर/आउटडोर, सामूहिक आयोजन, जुलूस, गैर सम्मेलन, सामूहिक भोज आदि जिनमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। ऐसे सभी आयोजन प्रतिबंधित किये जाते हैं।
2. रीवा जिले में बिना अनुमति समस्त सभा, धरन्दा, प्रदर्शन, जुलूस, रैली को प्रतिबंधित किया जाता है तथा आगामी त्यौहारों के अवसर पर जुलूस/चल समारोह जिनमें अधिक संख्या में आमजन एकत्रित होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक कार्यक्रम या अधिक भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर निम्नी कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। जारी की गई समस्त अनुमतियां (रैली, जुलूस, सभा, गैर मिलन समारोह, प्रदर्शन आदि) लोक स्वास्थ्य एवं आमजन की सुरक्षा की मददेनजर रखते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/020/सत्रह/ गडि-2 भोपाल दिनांक 07.03.2020 की अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को नोवल कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मजिस्ट्रेटियल अधिकारी सौंपे गये हैं।
3. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 36/प्र.सं./स्वा./सत्रह/मेडि-तीन भोपाल दिनांक 15.03.2020 के अनुस्रर स्कूलों, कालेजों, सिनेमा, हाल मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर कृ0प0उ0



पार्क, जिम, स्वीमिंग, पूल्स, आंगनवाडियों एवं कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखा जावे साथ ही अधिकारिक यात्रा प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किये जाने तथा 20 या 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिये कानूनी उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं।

4. विशेष परिस्थिति में 20 या 20 से अधिक लोगों की सभाओं/आयोजन की अनुमति हेतु उप शब्दों मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा के आधार पर अनुमति देने हेतु अधिकृत रहेंगे। अनुमति में कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क, हाथ धुलाया जाना सेनिटाईजर का उपयोग करने की शर्त लगाया जाना अनिवार्य होगा।
5. भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी एडवायजरी के अनुसरण में भारत से बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आईसोलेशन सेन्टर में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदाय की जावेगी। साथ ही समस्त होटल/लाज संचालक ऐसे आने वाले नागरिक की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा को भेजते हुये एक प्रति कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजेगें।
6. रीवा जिले में स्थित समस्त शासकीय/निजी/क्लीनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करेंगे तथा पृथक से ओपीडी कक्ष बनायेंगे एवं कोरोना वायरस को लेकर जारी प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर गलत सूचना देने वाले, कोरोना वायरस से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की सूचना नहीं देना या उसको छुपाना, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस के बचाव एवं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये फेस मास्क एवं हैंड सेनिटाईजर्स को अत्यावश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। उक्त सामग्री को अनाधिकृत मात्रा में संग्रहण और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये अत्यधिक कीमतों में विक्रय किया जाना अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।
9. सभी प्रकार की अत्यावश्यक सेवाओं (विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, दूरसंचार आदि) छोड़कर शेष विभागों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आये। शेष 50 प्रतिशत घर पर रहकर कार्य करें। इस रोस्टर का निर्धारण कार्यालय प्रमुख करेंगे।
10. 60 वर्ष से ऊपर और 15 वर्ष से कम आयु के समस्त व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। उन व्यक्तियों को केवल इलाज के लिए ही घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी।
11. जहां कहीं भी किसी कार्य के लाईन में लगना जरूरी हो, वहाँ लाईन में लगे व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जावे।

कृ०प०उ०



12. COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोकथाम हेतु जन सामान्य के हित एवं जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि सेवाओं को छोड़कर समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को आगामी 3 दिवस 21.03.2020 से 23.03.2020 तक पूर्णतः बन्द रखा जाने का निर्णय लिया गया। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवधि को बढ़ाये जाने पर विचार किया जाएगा। शासकीय संस्थाओं में अत्यावश्यक सेवा संबंधित संस्थाएँ यथा न्यायिक सेवा, राजस्व, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंकिंग सेवाएँ दूरसंचार आदि शामिल नहीं होंगे।
13. यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सूचना की जा सके।

यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकता है।

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत करावें।

यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 21.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक प्रभावशील रहेगा।




कमाक 161/प्रवा.कले./2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा सम्भाग, रीवा की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।

कृ०प०उ०


(बसंत कुरे)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला रीवा (म०प्र०)

रीवा, दिनांक 21 मार्च, 2020

5.पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा।

की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें। तथा समस्त थाना प्रभारियों को भी उक्त आदेश का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

6.अपर जिलादण्डाधिकारी, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।

7.आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर/ग्रामीण/यातायात जिला रीवा।

9.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11.कमांडेंट, होमगार्ड, जिला रीवा।

12.अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त) (राजस्व) जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


13.जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला रीवा।

14.तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15.नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16.स्टेनो/टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा।

17.सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला दण्डाधिकारी,
जिला रीवा (म0प्र0)